

## नगर निगम रोहतक की दिनांक 21.10.2016 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

दिनांक 21.10.2016 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई।

बैठक निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

दिनांक 14.06.2016 की बैठक में लिए गये निर्णयों पर नगर निगम रोहतक द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट सभी पार्षदगण को पत्र क्रमांक एम0सी0आर0/5556-80 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा भेज दी गई थी, जिस पर नगर निगम को किसी भी पार्षदगण से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा न ही सदन में किसी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके पश्चात् बैठक में दिनांक 21.10.2016 को नगर निगम की सामान्य बैठक के लिए जारी किये गये एजेन्डे पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

क्रम सं०	एजेन्डा	निर्णय
1.	नगर निगम, रोहतक की सीमा में स्थित 112 अनाधिकृत कालोनियो को नियमित करने का सिफारिश आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक द्वारा प्रदेशालय को पत्र क्रमांक एल.एफ.ए./823 दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तावना भेजी गई थी। जिस बारे अब निदेशालय के पत्र क्रमांक डी.यू.एल.बी./टी.पी./ए.टी.पी.-3/2016/6153-6253 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा इन कालोनियो में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने से पूर्व कालोनीवाईज आर.डब्ल्यू.ए. गठित कर विकास शुल्क जमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसकी पालना में सभी पार्षदगणों को पत्र क्रमांक एम.सी.आर./टी.पी./बी.आई.-1/701-720 दिनांक 14.10.2016 के द्वारा अनाधिकृत कालोनियो की वार्ड वार्डन सूचि के साथ निदेशालय से प्राप्त पत्र की प्रति भिजवाई जा चुकी है। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	यह प्रस्ताव सदन में सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया था।
2.	घर-घर से कूड़े का उठान व उसका निष्पादन करने बारे। घर-घर से कूड़े का उठान व उसका निष्पादन करने बारे भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक युनिट (मकान, दुकान व किसी भी वाणिज्यिक युनिट) से गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाया जाना है। वर्तमान में नगर निगम के पास घर-घर से कूड़ा उठाने के लिये मात्र 20 गाड़ीयां हैं। जिनसे प्रतिदिन प्रत्येक घर से कूड़ा उठाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त इन 20 गाड़ीयां की सर्विस, गाड़ीयां के लिये तेल, मुरम्मत व रख-रखाव तथा गाड़ी के खराब होने व झर्झवर के बिमार होने व छुट्टी पर जाने पर कई दिनों तक गाड़ी वार्ड में नहीं जा पाती जिसके कारण कूड़े का निष्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारी भी कम है। जिसके कारण सफाई व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। अतः इस व्यवस्था को सुचारु रूप से करने के लिये प्रस्तावना है कि नगर निगम क्षेत्र के तीन वार्ड 7, 8 व 20 जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, इसका एक जोन बना कर इसकी सफाई, घर-घर से	इस बारे निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक TA/DULB/2016/ 9356 दिनांक 24.10.2016 द्वारा सफाई के कार्यों से संबंधित आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं पर रोक लगा दी गई है। राज्य स्तर पर सफाई के कार्यों की निविदा तैयार की जा रही है, उसी अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित शर्त निविदा में डलवाने हेतु सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया:- “ House of Municipal Corporation may cancelation of the tender, if work will not found satisfactory ”

<p>गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग लेना व सफाई पश्चात सभी कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों, डस्टबीन विन्दुओं व बचे अतिरिक्त एरिया से भी अलग-अलग कूड़ा उठाना। इसके अतिरिक्त शहर के 17 वार्डों को 2 जोन में विभाजित कर घर-घर से सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग लेना व सफाई पश्चात सभी कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों, डस्टबीन विन्दुओं व बचे अतिरिक्त एरिया से भी अलग-अलग कूड़ा उठाने, गली व क्षेत्र से कूड़ा उठाने के ठेके की निविदाएं आमन्त्रित की जानी उचित है। इन निविदाओं में जो भी ठेकेदार/फर्म टैण्डर लेगा वह अतिरिक्त वाहन, डस्टबीन, डम्पर प्लेसर गाड़ियां व डस्टबीन लाल व हरे रंग के हों व गलियों से अतिरिक्त कूड़ा उठाने के लिये ट्रैक्टर-ट्राली उपलब्ध करायेगा। यदि ठेकेदार/फर्म अपने कार्य को सुचारु रूप से नहीं करता तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को जुर्माना लगाया जायेगा। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	
<p><b>3.</b> <b>नगर निगम की गांव गढी बोहर में कुरं वाली भूमि पर सिलाई केन्द्र का निर्माण करने बारे।</b></p> <p>गांव गढी बोहर में नगर निगम की कुरं वाली भूमि पर श्री रामचन्द्र पुत्र बलमत, रोशनी पति मुखवार सिंह, भूरा पुत्र धर्मसिंह, जोगेन्द्र पुत्र रामचन्द्र आदी असमाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोज होने वाली भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भूमि लाल डोरे के अन्दर है। इस जगह की चारदिवारी ग्राम पंचायत के समय श्रीमती सवीना पति यशवंत सरपंच की देखरेख में सन 2007 में करवाई गई थी। अगर इस भूमि पर नगर निगम द्वारा सिलाई केन्द्र बना दिया जाता है तो अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। इस लिए इस भूमि पर सिलाई केन्द्र का निर्माण करने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	<p>जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की गांव गढी बोहर में सिलाई केन्द्र का निर्माण कर सकता है तथा उसका संचालन व सिलाई टीचर का प्रबन्ध जिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। <b>(जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b></p>
<p><b>4.</b> <b>करौंथा काण्ड से पीड़ित परिवार के शास्त्री उदयवीर की स्टैचू हेतु 50 वर्गगज भूमि उपलब्ध करवाने बारे।</b></p> <p>श्री रामफल पुत्र श्री ज्ञानी राम गांव बलियाणा जिला रोहताक ने माननीय उपायुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की है कि मेरे पुत्र शास्त्री उदयवीर की मृत्यु करौंथा काण्ड दिनांक 12-05-2013 को हुई थी। दिनांक 16-05-2013 को गणमान्य व्यक्तियों के कहने अनुसार अन्तिम संस्कार किया गया था। माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा सरकार ने शास्त्री उदयवीर की स्टैचू बनवाने का वायदा किया था। शास्त्री उदयवीर का स्टैचू के लिए गांव खेड़ी साध से गांव बलियाणा के रास्ते रिंग बांध पानी के बुस्टर के पास जगह दी जाए राजस्व रिकार्डनुसार गांव खेड़ी साध से गांव बलियाणा के रास्ते रिंग बांध पानी के बुस्टर के पास खसरा न0 463/2 रकबा 3</p>	<p>नगर निगम द्वारा स्टैचू नहीं लगाया जा सकता परन्तु पार्क के अनुरोध पर वहां एक पार्क बनाएं जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द मौका देखकर अनुमान तैयार करने के निर्देश दिये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b></p>



<p>कनाल 7 मरले भूमि नगर निगम की मलक्रीयत है। उस भूमि में से 50 वर्गगज भूमि शास्त्री उद्यवीर का स्टैचू के लिए देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	
<p><b>5. बेघर गाड़ियां लौहारों को प्लाट आवंटन बारे।</b></p> <p>निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला ने दिनांक 17-02-2016 को लिखा है कि घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवार को भूखण्ड सजित कर आवंटन करके बसाने के लिए नीति निर्धारित करने बारे मामला सरकार के विचारार्थीन है। अतः इस बारे अनुरोध है कि नगर निगम में रह रहे गाड़ियों लौहारों को बसाने के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा इस कार्यालय में भेजे। घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवार को भूखण्ड सजित कर आवंटन करने के लिए नगर निगम रोहतक की रोहतक शहर में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। गांव सुनारी कलां में किला न0 29 / /5, 6 रकबा 16 कनाल, सुनारी खुर्द में किला न0 72 / /19, 22 किते 2 रकबा 15 कनाल 18 मरले तथा गांव पहशवर में किला न0 36 / /16, 25 किते 2 रकबा 15 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध है। घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवारों की कुल जनसख्या 134 को प्लाट किस गांव में देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	<p>सर्वसम्पत्ति से निरस्त किया गया।</p>
<p><b>6.</b></p> <p>अम्बेडकर कालोनी, एका कालोनी, छोट्टराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव कालोनी में <b>Boosting Station</b> के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह उपलब्ध करवाने बारे।</p>	<p>यह बिन्दू नगर निगम की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p>

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, डिजिजन न0 2, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचित किया है कि अम्बेडकर कालोनी, एका कालोनी, छोट्टराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव कालोनी निवासियों ने **Boosting Station** की मांग की है, क्योंकि इनके एरिया में पानी नहीं पहुँच रहा है। इस लिए **Boosting Station** के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह चाहिए। सम्बन्धित पार्सद ने बताया है कि नगर निगम की भूमि डेयरी कामप्लैक्स में

	<p>उपलब्ध है। अतः आप उक्त भूमि पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने का कष्ट करे ताकि लोगो की समस्या का समाधान हो सके। डेयरी काम्प्लेक्स के पास गांव कन्हैली में नगर निगम की भूमि किला न0 37//23/2, 24/2, 25/2 रकबा 13 कनाल 2 मरले उपलब्ध है। इस रकबे में से Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने के लिए देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	
7.	<p><b>सुनार जाति की धर्मशाला बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने बारे।</b></p> <p>उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में Gold Smiths &amp; Jewellers Association, Rohtak का आवेदन पत्र माननीय विधायक, रोहतक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन द्वारा आवेदन पत्र में आवेदन किया गया है कि सुनार बिरादरी के लिए पूरे रोहतक शहर में कोई धर्मशाला व सामुदायिक केन्द्र नहीं है। इस लिए हमारी बिरादरी को अन्य किसी धर्मशाला में मीटिंग आदी रखनी पड़ती है। कमजोर सुनार जाति के लिए विवाह आदी के लिए भी आवश्यकता है। यह हमारी कई वर्षा से पुरानी मांग है। कृपया हमारी मांग पूरी की जाए। गोल्ड समीथ एण्ड ज्वैलर्ज एसोसिएशन, रोहतक के प्रार्थना पत्र के मध्यनजर नगर निगम, रोहतक की गांव कन्हैली की भूमि किला न0 55//9 रकबा 8 कनाल मारुति सैन्टर के पास उपलब्ध है। इस रकबे को राजस्व रास्ता नहीं लगता है। इसके लिए साथ लगती भूमि के मालिको से रास्ता लेना पड़ेगा। अतः गोल्ड समीथ एण्ड ज्वैलर्ज एसोसिएशन, रोहतक को भूमि देने के लिए निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>
8.	<p>कसाई चौक का नाम बदलकर साईं चौक रखने बारे।</p> <p>उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिक्का प्रधान चमेली मार्केट, रोहतक व चमेली मार्केट व कसाई चौक के आस-पास अन्य रहने वाले सभी दुकानदार अनुरोध करते है कि कसाई चौक का नाम बदलकर साईं चौक रखा जाए। अतः कसाई चौक का नाम बदल कर साईं चौक रखने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>
9.	<p>श्री मदन लाल धीगड़ा जी की प्रतिमा लगवाने हेतु।</p> <p>हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ के प्रधान हेमंत बख्शी द्वारा प्रार्थना पत्र</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>

	<p>देकर अनुरोध किया है कि रोहतक शहर में प्रथम शहीद 20वीं सदी के श्री मदन लाल धीगड़ा के नाम पर इस शहर में उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। अतः अनुरोध है कि रोहतक शहर में सोनीपत स्टैण्ड के नाम से विन्डित चौक का नाम बदलकर शहीद मदन लाल धीगड़ा चौक रखा जाए व इस चौक की साईड में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए।</p> <p>हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ के प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुए सोनीपत स्टैण्ड के नाम से विन्डित चौक का नाम बदलकर शहीद मदन लाल धीगड़ा चौक रखने व इस चौक की साईड में इनकी प्रतिमा स्थापित करने निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	
10.	<p><b>डेयरियों को शहर से शिफ्ट करने हेतु।</b></p> <p>सभी डेयरी आनर (दुर्गा भवन के पीछे) ने अनुरोध किया है कि हम पिछले 50 50 वर्षों से डेयरियों में केवल बैस खरीद फरोकत का काम कर रहे हैं। यहां दूध बिक्री का कार्य नहीं होता है। इस लिए हमें अलग से एक स्थान मुहैया कराया जाए ताकि वहां भी हम सब उसी प्रकार से कार्य कर सकें।</p> <p>द्वारा बिक्री का कार्य के लिए 20 लाट 1000 वर्गज के, 33 लाट 500 वर्गज के, 36 लाट 250 वर्गज के हो, तथा उसमें Bio Gas का प्लान्ट, सड़क आदि जगह की मांग की है। उन की मांग अनुसार इन प्लॉटों के लिए 10 व 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। गांव गढी बोहर में नगर निगम की भूमि किला नं0 227/19, 20, 21, 22, 261/20, 21, 262/6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 कुल 16 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस भूमि के कलैक्टर रेट 25 लाख रु0 प्रति एकड़ व मार्केट रेट 60 लाख रु0 प्रति एकड़ है। डेयरी एसोसिएशन द्वारा की गई मांग पर विचार करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।
11.	<p><b>नगर निगम की भूमि गान्धी कैम्प में श्री कृष्ण लाल खुशाना के मकान के साथ लगती भूमि मकान मालिक को देने बारे।</b></p> <p>श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री आया राम निवासी जवाहर नगर, रोहतक ने प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की कि मकान के साथ लगती भूमि जो मेरे कब्जे में है मुझे दी जाए। इस बारे दिनांक 30-07-2015 को सदन की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि मकान के साथ लगती भूमि जो उसके कब्जे में है मकान मालिको को दी जाए। इस बारे दिनांक 14-11-2014 को हुई</p>	सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।

<p>सदन की बैठक में प्रस्ताव पास करके चार पार्षदों श्रीमती अनिता मिगलानी, श्री अशोक खुराना, श्री जय किशन व श्री गुलशन ईशुनयानी की कमेटी गठित की गई थी। दिनांक 26-10-15 को गठित कमेटी को पत्र लिखा गया कि वह अपनी रिपोर्ट इस बारे प्रस्तुत करें। श्री अशोक खुराना व श्री जय किशन पार्षद ने श्री कृष्ण लाल जो 32 वर्गज भूमि कलैक्टर रेट पर देने की सहमति दी है। श्रीमती अनिता मिगलानी व श्री गुलशन ईशुनयानी पार्षद ने भूमि को बेचने का विरोध किया है, क्योंकि यह लोग की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मन्दिर में उस मौहल्ले के लोग पूजा अर्चना करते है। इस लिए श्री कृष्ण लाल को 32 वर्गज भूमि कलैक्टर रेट पर देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	
<p>12. कन्हैली में नगर निगम द्वारा स्टोर का निर्माण किया गया है, परन्तु उसकी ड्राईंग इस प्रकार की है कि सामुदायिक केन्द्र का रूप लगता है। वार्ड 18,19 व 08 में स्थित होने के कारण इसे सामुदायिक केन्द्र के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सामुदायिक केन्द्र के लिए 1.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति है। इस स्टोर के आश्रिम हिस्से में जो खाली लगह है वहां 30 फुट व 40 फुट का एक स्टोर व इसके सामने स्थित तीन सार्डजो में सड़क का निर्माण किया जा सकता है। सदन के विचारार्थ प्रेषित है।</p>	<p>आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाएगा। (कार्यवाही कार्यकारी अभियन्ता द्वारा की जाएगी)</p>
<p>13. <b>ग्राम सुनारी खुर्द में काटे गए प्लाटो को रास्ता लगाने बारे।</b> ग्राम पंचायत सुनारी खुर्द द्वारा वर्ष 2008 में सुनारी खुर्द में अलाट किए गए प्लाटो की रजिस्ट्रीयां नगर निगम द्वारा करवाई गई है। दिनांक 27.07.2016 को ग्राम सुनारी खुर्द में अलाट किए गए किला न0 72//18, 19, 23 व 103//3 में 107 प्लाटो की कब्जा कार्यवाही व निशानदेही मौके पर सभी उपस्थित प्लाटधारको व पार्षद वार्ड न0 20 के सामने की गई।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने किला न0 72//18, 19, 23 व 103//3 में 107 प्लाट अलाट किए थे। उन द्वारा केवल इन किला न0 को 38 फुट का रास्ता लगाया गया है, जो जेल की सुरक्षा के लिए जेल की चारदिवारी के साथ है। जेल विभाग जेल की चार दिवारी के साथ-2 आने नहीं देगे। इस लिए इस रास्ते के अतिरिक्त 20 फुट का रास्ता और लगाया जाना उचित होगा। इस रास्ते को मेन रास्ते से भी नहीं मिलाया गया है और ना ही प्लाटो के आगे नगर निगम की बकाया भूमि को रास्ता लगाया गया है। अपने प्लाटो में आने जाने के लिए प्लाटधारको को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है। 33 एकड़ भूमि पर शिखर</p>	<p>सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जाएगी)</p>

	<p>मन्दिर द्वारा कब्जा किया हुआ है। राजस्व रिकार्डनुसार इस भूमि की मलकीयत नगर निगम की है। इस भूमि में से सर्लान नक्शे अनुसार किला न0 72//20 को व प्लाटो को किला न0 72//18,19 को लगाए गए रास्ते को किला न0 72//16,17, 73//16,17,18,19,20, 74//17,18,19,20, में से उत्तर दिशा में मेन रास्ते से मिलते हुए उक्त सभी किला नम्बरो में से 10 करम यानि 58 फुट का रास्ता लगाया जाना उचित होगा ताकि लाटधारक अपने प्लाटो में आ जा सके। अतः प्लाटो को 58 फुट का रास्ता यानि 38 फुट जेल की सुरक्षा के लिए 20 फुट प्लाटो के लिए मेन रोड से रास्ता लगाने व 5 प्लाट जो रास्ते में आएंगे उनकी ततीमा रजि0 बनवाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</p>	
14.	<p>शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथो पर साईकल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने बारे भूिनिक विजन पंचकुला, हरियाणा द्वारा शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथो पर साईकल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस कम्पनी द्वारा शहर में सुविधा हेतु पब्लिक के सहयोग से साईकल सिस्टम आरम्भ करने हेतु शहर में भिन्न-2 चौराहों पर फुटपाथ के उपर साईकल स्टेण्ड/शैल्टर बनाए जाएंगे। इस योजना से शहर वासियों को अच्छी सुविधा मिलेगी तथा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नगर निगम द्वारा कोई खर्चा नहीं किया जाना है, केवल जगह उपलब्ध करवाई जानी है। अतः युनिक विजन पंचकुला, हरियाणा कम्पनी को शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथो पर साईकल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>
15.	<p>प्रताप टाकिज चौक पर हनुमान प्याउ न तोड़ने बारे।</p> <p>श्री प्रेम सेवा दल ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा प्रताप टाकिज चौक पर प्याउ का निर्माण किया था परन्तु किसी ने कोर्ट केस कर दिया था। अब कोर्ट का फैसला श्री प्रेम सेवा दल के हक में हो गया है। अतः प्याउ न तोड़ा जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिखा गया कि प्रताप टाकिज चौक पर प्याउ को न तोड़ा जाये तथा प्याउ के पीछे कब्जा की गई जमीन का कब्जा छुड़वाया जाये तथा वहां पर शौचालय व पुलिस पोस्ट का निर्माण किया जाये।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
16.	<p>वार्ड नं0 1 सूर्या नगर शिव कालोनी, नेहरू कालोनी, बढसी नगर आदि कालोनियो का सर्वे करवाकर स्ट्रीट लाईट लगावाई जाये तथा</p>	<p>इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाईटे खरीदने हेतु फर्म को वर्कआर्डर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाईटे मंगवाकर सभी पार्श्वों को 100-100 लाईटे उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाईटे लगाई जा सके। इसके साथ-2 यह भी निर्णय लिया गया कि आमजन से स्ट्रीट</p>



	सफाई व्यवस्था ठीक की जाये।	लाईट लगवाने हेतू जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो उस पर पर्षद की सहमति उपरान्त ही लगावाई जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।) सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।
17.	6 माह पहले नगर निगम मे हुई प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हुई अवैध वसूली में 4 लाख Repeye का नोटिस देकर रिकवरी आज तक नहीं हुई। अतः रिकवरी की जाये और उस पैसे को सोशल जस्टिस के कार्य में लगाया जाये।	
18.	वार्ड- 3 में बाबा बालक नाथ मन्दिर से लेकर रैनकपुरा तक डेढ किलो मीटर के लगभग पक्की टयल वाली रोड बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
19.	वार्ड- 3 में माता दरवाजा बुस्टिंग स्टेशन से लेकर चमारिया रोड से जींद बाई पास तक लगभग 2 किलोमीटर रोड की मुरम्त करवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
20.	वार्ड- 3 में साहसी चौक से रैनकपुरा वाया प्राईमरी सरकारी स्कूल से जींद बाई पास तक 1 किलोमीटर तक पक्का करवाया जाये इसके अतिरिक्त बरसी नगर का सुन्दर पुर की तरफ के एरिये में सीवर डलवाये जाये तथा गली पक्की करवाई जाये।	पहले सीवर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से अलग से बैटक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्धसरकारी पत्र लिखा जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
21.	वार्ड- 3 में गोपाल कालोनी में तीन गलियों की मुरम्त करवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
22.	वार्ड- 3 में माता दरवाजा पर जोहड का सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार

		पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
23.	वार्ड- 3 में फौजी कालोनी में गलीयां बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
24.	वार्ड- 3 में धानक समाज सामुदायिक केन्द्र में मुरम्मत एवं सफेदी करवाने बारे (15 लाख)।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
25.	वार्ड- 3 में कबीर प्राईमरी हेल्थ सैन्टर बनवाने के लिए पहले भी नगर निगम की सदन की बैठक में पास किया जा चुका है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः जल्द से जल्द प्राईमरी हेल्थ सैन्टर बनवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाये।	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन द्वारा प्राईमरी हेल्थ सैन्टर की प्रस्तावना सरकार को भेजी जा चुकी है। आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा निर्देश दिये गये कि सिविल सर्जन पुनः स्मरणः पत्र भेजे तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखवाये। <b>(कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
26.	वार्ड नं0 4, तेज कालोनी में जर्जर अवस्था में पडी हुई धानक चौपाल का पुनःनिर्माण करवाने तथा तेज कालोनी में खाली पडी जमीन पर कबीर पार्क के नाम से पार्क का निर्माण हेतु पूर्व में भी पास किया जा चुका है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अत जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
27.	वार्ड नं0 4, राजीव कालोनी में धर्मकांटे से लेकर सैनियों के शमशान तक सीवर लाईन डलवाई जाये तथा शमशान से लेकर सुखबीर राठी के मकान तक टार्शल बिछवाई जाये।	पहले सीवर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से अलग से बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्धसरकारी पत्र लिखा जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>

28.	सलारा मोहल्ला डूंगी गौरी सूरत सिंह आखूपरिया के मकान से लेकर महंत उर्मिला के मकान तक सीवर डलवाया जाये।	पहले सीवर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से अलग से बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्थात्सरकारी पत्र लिखा जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
29.	वार्ड नं0 4 फतेहपुरी कालोनी में डोना प्रधान वाली गली में तथा भोम नगर किशोरी जोगी से लेकर कच्चा चमारिया रोड तक इंटरलॉकिंग टार्डल लगवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार ही कार्य करवाया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
30.	वार्ड नं0 4 तेज कालोनी में सुरेश वाली गली की नालियां बंद करवाई जाये तथा लगभग खाली पड़े 800 फुट में सडक बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार ही कार्य करवाया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
31.	वार्ड नं0 6 में सैक्टर 3 की खाली पड़ी जमीन पर पार्क का निर्माण किया जाये तथा उसका नाम साक्षी मलिक पार्क रखा जाये।	सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यह स्थल हाईडेशन लार्डन के नीचे स्थित है। अतः यहां पर पार्क का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रीन बैल्ट को विकसित किया जाये। <b>(कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
32.	वार्ड नं0 6 विशाल नगर, बसंत विहार तथा ताउ नगर में बिजली के पोल, पानी की लार्डन, सीवर की लार्डन डलवाई जाये तथा गलियां पक्की बनवाई जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लार्डन व सीवर की लार्डन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्सदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
33.	वार्ड नं0 6 में आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की	इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाईट खरीदने

	जाये।	हेतू फर्म को वर्कआर्डर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाइट मंगवाकर सभी पार्श्वों को 100-100 लाइट उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाइटें लगाई जा सकें। आवश्यकता व लाइटों को लगवाने सम्बन्धित पार्श्वदण की होगी। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
34.	वार्ड नं0 6 जसबीर कालोनी रेलवे लाईन के साथ रोड पर पोल के साथ स्ट्रीट लाइट लगावाई जाये।	इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाइट खरीदने हेतु फर्म को वर्कआर्डर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाइटें मंगवाकर सभी पार्श्वों को 100-100 लाइटें उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाइटें लगाई जा सकें। आवश्यकता व लाइटों को लगवाने सम्बन्धित पार्श्वदण की होगी। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
35.	वार्ड नं0 6 के सैक्टर 3,4,2 का पार्ट तथा 3 का पार्ट के पार्को का लाइट का प्रबंध, बैच तथा शैड, रख-रखाव व सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	इस पर कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम रोहतक को जो 5 सेक्टर मात्र रख-रखाव के लिए, जिसमें सडकें, पार्क व स्ट्रीट लाइट शामिल थी, स्थानान्तरित किये गये थे उन सेक्टरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा न तो सडकों की मरम्मत की गई है तथा न ही इन सडकों, पार्कों व स्ट्रीट लाइटों के लिए धनराशि स्थानान्तरित की है। नगर निगम रोहतक द्वारा पीने के पानी की सलाई व सीवर का कार्य पहले से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस किया जा चुका है। कार्यकारी अभियंता, नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नगर निगम रोहतक के पास न तो अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध है तथा न ही तकनीकी स्टीफ उपलब्ध है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 5 सेक्टरों में विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध न करवाने व नगर निगम रोहतक के पास अतिरिक्त तकनीकी स्टीफ उपलब्ध न होने के कारण इन सेक्टरों को वापिस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस करने के लिए अनुरोध पत्र निदेशालय को भेजा जाएगा। <b>(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
36.	वार्ड नं0 6 के अंतर्गत आने वाले सैक्टरों में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों (बिजली,पानी,सीवर,सफाई इत्यादि)के मोबाईल नं0	सर्वसम्पत्ति से स्वीकार किया गया। <b>(कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।)</b>

	तथा नाम उपलब्ध करवाये जाये।	
37.	वार्ड नं0 6 के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों के टैंडरों की प्रति समय-2 पर उपलब्ध करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
38.	वार्ड नं0 6 की कालोनियों के खाली पड़े प्लाटों में काफी गंदगी रहती है तथा बरसाती पानी इकट्ठा रहता है। ऐसे प्लाटों के सर्वे करवाकर नोटिस दिये जाये ताकि उनकी चारदिवारी/भरत करवाई जा सके।	हुडा के पड़े खाली प्लाटों पर हुडा विभाग द्वारा नोटिस दिये जायेंगे। (कार्यवाही सम्पन्न अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
39.	वार्ड नं0 7 में अस्थल बोहरर तथा गढी माजरा में पानी निकासी, सीवर की लार्डिन का प्रबन्ध किया जाये तथा कच्ची गलियों को पक्की करवाया जाये।	पहले जनस्वस्थ अभियंत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लार्डिन व सीवर की लार्डिन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
40.	वार्ड नं0 7 में गढी माजरा में हरिजन चौपाल में काफी गन्दा पानी एकत्रित हो गया है अतः पानी की निकासी करवाकर चौपाल को मुरम्मत करवाई जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
41.	वार्ड नं0 7 में बोहरर गांव में 60% सीवर डाले जा चुके है बाकी बची जगह में सीवर लार्डिन बिछवाई जाये। इसके अतिरिक्त बोहरर गांव में पानी की निकासी के स्थल को पक्का करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाये।	पहले जनस्वस्थ अभियंत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लार्डिन व सीवर की लार्डिन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
42.	वार्ड नं0 7 में गढी बोहरर में नगर निगम की जमीन पर प्रजापत समाज की चौपाल का कार्य चालू करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए।

28

		व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
43.	वार्ड नं0 7 फ्रेडस कालोनी गली नं0 5 में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये तथा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
44.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा के रिंग बांध को पक्का किया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा वहां पर Metalled Road का निर्माण किया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
45.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा के सीवरज का HSIIDC के साथ जोड़ा जाये।	श्री यश वर्मा, प्रबन्धक HSIIDC द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में से consultant से रिपोर्ट ली जा रही है तथा आगामी 15 दिन के अन्दर-अन्दर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी। सदन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बलियाणा गांव के सीवरज Effluent Treatment पर होने वाले खर्च को HSIIDC द्वारा 2 प्रतिशत CSR पर होने वाले खर्चों से वहन किया जाये। <b>(ई0अथ0 HSIIDC रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
46.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा के रिंग बांध के उपर लार्डट का कार्य पूरा किया जाये जोकि अधूरा पडा है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
47.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा के वाटर सप्लाई की पाईप लाईन पुरानी होने के कारण लीक हो रही है वहां पाईप लाईन बदली जाये।	<b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b> पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये।
48.	वार्ड नं0 8 न्यू फ्रेडस कालोनी (तलियार झील के सामने) की गली को पक्का किया जाये।	<b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b> इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।

49.	वार्ड नं0 8 बलियाणा गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी इकट्ठा हो गया है वहां पर मिट्टी का भरत करवाया जाये।	नगर निगम द्वारा मिट्टी का भरत नहीं करवाया जाएगा। गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
50.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा में आबादी ज्यादा होने के कारण यहां पर चिकित्सा का अभाव है गांव के अन्दर एक पी0एच0सी0 बनवाया जाये।	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि ने सदन को सूचित किया कि गांव में पहले ही सबसैंटर है। सदन द्वारा अनुरोध किया गया कि गांव की जनसंख्या को देखते हुए पी0एच0सी0 की प्रस्तावना सरकार को भेजी जाए। (कार्यवाही सिविल सर्जन रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
51.	वार्ड नं0 8 गांव खेड़ी साथ में डिस्पेंसरी की जगह तो है परन्तु बिल्डिंग नहीं है गांव में डिस्पेंसरी के लिए भवन बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (कार्यवाही सिविल सर्जन रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
52.	वार्ड नं0 8 खेड़ी साथ में गंदे पानी के तालाब का पानी बाहर फैल रहा है। गांव खेड़ी साथ में गंदे पानी के तालाब की बाउन्ड्री वाल बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की प्राथमिकता के आधार पर रिटैनिंग वॉल बनाई जाये तथा जोहड के बाद जो खाली जगह मिले, उस पर पार्क विकसित किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
53.	वार्ड नं0 8 खेड़ी साथ में 10 पुलिया टूटी हुई है। आम रास्ते का आना जाना बन्द है। अतः पुलिया का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को मौका देखकर जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
54.	वार्ड नं0 9 रेवेन्यू कालोनी में कोई सामूदायिक भवन नहीं है अतः रेवेन्यू कालोनी में सामूदायिक भवन बनवाया जाये।	(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।) इस बारे सदन में निर्णय लिया गया कि रेवेन्यू कालोनी में सामूदायिक केन्द्र बनाने हेतु राजस्व विभाग को नगर निगम द्वारा प्रस्ताव भेजा जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
55.	वार्ड नं0 9 सैक्टर 1 में कोई खेल का मैदान नहीं है अतः सैक्टर 1 में एक खेल का मैदान बनवाया जाये।	वार्ड नं0 9 सैक्टर 1 में कोई खेल का मैदान बनवाने के लिए ई0ओ0 हुआ को संबधित पार्श्व के साथ मौका देखकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। (कार्यवाही सभ्यदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
56.	वार्ड नं0 13 में मैन हैफ्रेड चौक से लेकर हैफ्रेड गेट से आगे	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने

	<p>महेन्द्र किराणा वाले की दुकान तक, हैफेड रोड सुखपुरा चौक रमेश पेन्टर वाली गली, लाठीत रोड सुखपुरा नजदीक सुखपुरा चौक महेन्द्र नेहरा के मकान से डा0 त्रिलोक के मकान तक, राम रिष्णाल कालानी में डा0 शानू से लेकर गगन के मकान तक, साईदास कालोनी में अशोक की दुकान से लेकर संजय के मकान तक, गुरुनानक पुरा में अतुल की दुकान से लेकर फौजी के मकान तक पक्की सड़क बनवाई जाये इसके अतिरिक्त वजीर सिंह ठेकेदार व दीपचन्द की चक्की से लेकर लाठीत रोड पर गोहाना रोड तक दोनो तरफ इन्टरलॉकिंग टाईले लगवाई जाये। (यह कार्य नगर निगम की सदन की बैठक में पूर्व में रखा जा चुका है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये व जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाये)।</p>	<p>वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
57.	<p>सभी पार्षदों को 100-100 स्ट्रीट लाईट उपलब्ध करवाई जाये ताकि आवश्यकतानुसार सभी वार्डों में लाईटें लगावाई जा सकें।</p>	<p>इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाईटें खरीदने हेतु फर्म को वर्कआर्डर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाईटें मंगवाकर सभी पार्षदों को 100-100 लाईटें उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाईटें लगाई जा सकें। आवश्यकता व लाईटों को लगवाने सम्बन्धित पार्षदगण की होगी। (कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
58.	<p>नगर निगम द्वारा भेजे गये प्रोपर्टी टैक्स बिल में काफ़ी कमियां हैं तथा काफ़ी पुराना एरियर जोड कर बिल दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त पुराने एरियर का भी कोई ब्यौरा नहीं है। अतः बिल में संशोधन करवाकर पुनः बिल बटवाये जाये।</p>	<p>सदन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा निर्णय लिया गया कि संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक की अध्यक्षता में प्रोपर्टी टैक्स के लिए गठित कमेटी की बैठक की जायेगी। तदोपरान्त नगर निगम कार्यालय में गृहकर शाखा में जाकर इसका आंकलन किया जायेगा ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें। (क्षेत्रीय काराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
59.	<p>नगर निगम द्वारा प्रोपर्टी टैक्स का सर्वे किया जा रहा जिसके बारे</p>	<p>सहायक नगर योजनाकार ने सदन को अवगत करवाया कि नगर निगम के वार्डों में</p>



	मे न तो किसी पार्श्व को अवगत करवाया गया है तथा न ही हाउस में पास किया गया है। अतः इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया जाये।	वाणिज्यिक संस्थानों व उद्योगिक संस्थानों की पहचान हेतु सर्वे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया गया कि सर्वे करने के लिए ₹0टैण्डरिंग की गई थी तथा नियमानुसार फर्म को टैण्डर दिया गया था।
60.	नगर निगम में की स्वास्थ्य शाखा में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती किस की अनुमति से की जा रही है तथा कुल कितने कर्मचारी लिये जाने है व कितने लिए जा चुके है? इसके अतिरिक्त नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में पूरे स्टाफ के होते हुए शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये।	सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक ने अवगत करवाया कि नगर निगम द्वारा अभी तक जितने कर्मचारी लगाये गये है वे नियमानुसार लगाये गये है तथा शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। आउटसोर्स पर आने वाले कर्मचारी भी आउटसोर्स कम्पनी से लिये जाते है। नगर निगम रोहतक द्वारा कोई भी भर्ती नहीं की जाती। (सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
61.	वार्ड नं0 16 की कुताना बस्ती में सीवर लाईन डलवाई जाए ताकि लोगो को किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्श्वों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रांट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। इसके अतिरिक्त HSIIDC इसे अपने सीवर लाईन में जुड़वाने का कार्य करेंगी। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
62.	वार्ड नं0 16 जे.पी.कालोनी व सैनिक कालोनी में सामुदायिक केन्द्र बनवाए जाए ।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
63.	वार्ड नं0 16 पालिका कालोनी में पी.एच.सी.जो पहले से हाउस की भीटिंग में पास हो चुकी है उसे बनवाया जाए ।	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन द्वारा प्राईमरी हेल्थ सैन्टर की प्रस्तावना सरकार को भेजी जा चुकी है। आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा निर्देश दिये गये कि सिविल सर्जन पुनः स्मरणः पत्र भेजे तथा अतिरिक्त मुख्य

		सचिव स्वास्थ्य विभाग को अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखवाये। <b>(कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
64.	वार्ड नं0 16 गांव कुताना की गलिया पक्की की जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
65.	वार्ड नं0 16 पालिका कालोनी के पार्क को विकसित किया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
66.	वार्ड नं0 16 न्यू जनता कालोनी की टूटी हुई गलियों को दोबारा बनवाया जाए।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
67.	वार्ड नं0 16 भिवानी चुंगी पर बस यात्रियों के खड़े होने के लिये बस क्यू शैल्टर बनवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
68.	वार्ड नं0 16 गांव कुताना में ट्रेन नं0 8 पर कैदर नाथ बस्ती की लाईट शहर वाले फीडर से जोड़ी जाये।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को मौका देवकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
69.	वार्ड नं0 16 शेर विहार कालोनी की गलियां इंटरलॉकिंग टाइल से बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
70.	वार्ड नं0 19 के पार्क में आउटडोर जिम के उपर शैड व नीचे	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार

	टाईल लगवाई जाये।	पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
71.	वार्ड नं0 19 के पार्क में एक शैड लगवाई जाये जहां आमजन गर्मी, धूप व बारिश मे बैठ सके।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
72.	वार्ड नं0 19 झंझर चुंगी में झंझर बाई पास तक रोड के बीचो बीच लाईट लगवाई जाये।	इस बारे अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़के) ने अवगत करवाया कि शहर में बनाए जाने वाले एलिक्ट्रिक पुल वाले रोड पर लगे खम्भे हटवाए जाने है उन खम्भो को हटवाकर वार्ड नं0 19 झंझर चुंगी में झंझर बाई पास तक रोड के बीचो बीच लगवाई जा सकती है। <b>(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
73.	वार्ड नं0 19 में कुछ गलियों में सीवर लाईन तथा पानी की लाईन नहीं है अतः सीवर लाईन डलवाई जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रांट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। <b>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
74.	वार्ड नं0 19 में लगभग एक वर्ष पूर्व बिजली के खम्बे लगवाये गये थे परन्तु आज तक उन पर तार नहीं डाली जा सकी है। अतः उन खम्भो पर बिजली की तार डलवाई जाये।	सदन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा कार्यकारी अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये कि यह एक गम्भीर विषय है। इस पर शीघ्र कार्यवाही करवाये। <b>(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>
75.	वार्ड नं0 19 एकता कालोनी में पानी की डिग्गी के रिसाव के कारण मकानो में दरारे आ गई है। अतः उनका समाधान किया जाये।	आयुक्त महोदय ने संयुक्त आयुक्त नगर निगम रोहतक व कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिये। <b>(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक व कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</b>

BE

76.	वार्ड नं0 19 की कुछ गलियां कच्ची पड़ी है अतः उन गलियों को पक्का करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
77.	वार्ड नं0 19 एकता कालोनी में कुमाउ सभा को सामूदायिक केन्द्र बनवाने के लिए माननीय एम0पी0 साहब श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपनी ग्रांट से से 27 लाख रुपये दिये थे परन्तु अभी तक काम चालू नहीं हुआ है।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि माननीय सांसद महोदय से प्राप्त धनराशि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाकर 28.10.2016 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
78.	पिछली सदन की हाउस की मीटिंग में झञ्झर बार्ड पास चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखा गया था। अतः झञ्झर बार्ड पास चौराहे पर शहीद भगत सिंह चौक का बोर्ड लगावाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि चौक का कार्य निर्माण पूर्ण होते ही बोर्ड लगावाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
79.	वार्ड नं0 20 में पाना दहलीज व पाना भुराण धानक शमशान भूमि की चार दिवारी व शेड बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
80.	वार्ड नं0 20 में सुनारिया गांव में तालाब की चार दिवारी का एस्टीमेट 1 साल से चपड़ीगढ़ गया हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः जल्द से जल्द पत्राचार करके कार्य करवाया जाये।	वार्ड नं0 20 में सुनारिया गांव में तालाब की चार दिवारी करवाने के लिए आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिये कि सरकार को अर्धसरकारी पत्र लिखा जाये। (कार्यकारी, अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
81.	वार्ड नं0 20 में राजीव गांधी आवास योजना के तहत आये हुये मकान 7-8 महीने से लोग परेशान है निगम के चक्कर काट रहे है कोई समाधान नहीं है कहते पीछे से पैसे नहीं आये। अतः इसका समाधान करवाया जाये।	आयुक्त महोदय ने सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर को निर्देश दिये कि सरकार को अर्धसरकारी पत्र लिखा जाये। (सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

26

82.	वार्ड नं0 20 मे सुनारियां कलां व सुनारियां खुर्द में फिरनी कच्ची है उसको पक्का करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
83.	वार्ड नं0 20 मे पाना महतान की चौपाल बिच्छुल खत्म है उसे बनवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अतंगत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
84.	वार्ड नं0 20 मे बालिमकी कम्प्यूनिटी सैन्टर 3 साल से अधूरा पडा है उसे पूरा करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अतंगत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
85.	वार्ड नं0 20 मे श्री राम नगर व अमृत कालोनी 20-30 गलियां कच्ची पडी है उन्हे पक्का बनवाया जाये तथा सीवरों की सफाई करवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
86.	वार्ड नं0 20 मे सुनारियां कलां में तलाब की खुदाई 20-30 साल से नही हुई उसकी खुदाई करवाई जाये व उसका पानी बस्ती में फैला हुआ है उसे निकलवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की प्राथमिकता के आधार पर रिटेनिंग वॉल बनाई जाये तथा जोहड के बाद जो खाली जगह मिले, उस पर पार्क विकसित किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

87.	<p>वार्ड नं0 20 मे सुनारियां गांव में एक कम्युनिटी सैन्टर बनवाया जाये।</p>	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहताक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
88.	<p>इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दु नगर सुधार मण्डल के स्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृति के लिये नगर निगम की हाउस की बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत है:-</p> <p>प्रस्ताव नं:1 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा न:7 के बिन्दु न:8 के अनुसार 127 वर्गगज तक के रिहायशी प्लॉटों पर सिवियोरिटी राशि 1000/रू व 127 वर्गगज से ज्यादा के प्लॉटों पर सिवियोरिटी राशि 2000/रू लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p> <p>प्रस्ताव नं:2 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा न:7 के बिन्दु न:5 के अनुसार नगर सुधार मण्डल की सभी कालोनीयो में अगल फस्ट फ्लोर तक मकान बना हुआ है तो 50/रू प्रति वर्गगज ट्रांसफर फीस व यदि फस्ट फ्लोर भी बना हुआ है तो 50+25=75/रू प्रति वर्गगज के हिसाब से ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p> <p>प्रस्ताव नं:3 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा न:7 के बिन्दु न:1 के अनुसार अगल प्रार्थी ने राजिस्ट्री करावा रखी है और वह प्लॉट उसने आगे किसी अन्य व्यक्ति को राजिस्ट्री के द्वारा बेच दिया है और वह नगर सुधार मण्डल के रिकार्ड में अपने</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>

	<p>नाम ट्रांसफर करवाना चाहता है तो 1000/रु प्रति रजिस्ट्री ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:4</p>	<p>मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा न:7 के बिन्दु न:3 के अनुसार अगर किसी प्लॉट की 3-4 बार रजिस्ट्री हो चुकी है और वह व्यक्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाना चाहता है व बीच की रजिस्ट्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में प्रार्थी से एक शपथ-पत्र व 5000/रु ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:5</p>	<p>मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा न:7 के बिन्दु न:4 के अनुसार अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है और वह व्यक्ति उस प्लॉट को ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उस व्यक्ति से 2000/रु सिक्योरिटी फीस व 50/रु प्रति वर्गज के हिसाब से ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:6</p>	<p>मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा न:1 के अनुसार स्कीम न:19 कर्मशियल कामप्लैक्स सुभाष रोड के 50 वर्गज तक के प्लॉटों की ट्रांसफर फीस 300+300=600/रुपये प्रति वर्गज लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:7</p>	<p>मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा न:5 के अनुसार स्कीम न:13 श्यामलाल मार्केट/इन्दिरा कालोनी में कर्मशियल प्लॉटों पर ट्रांसफर फीस</p>	

	<p>300+300=600/रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करें।</p>	
प्रस्ताव नं:8	<p>भीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:2 के अनुसार कर्मशियल 50 वर्गगज तक के प्लॉटों की सिक्योरिटी 3000/रु व 50वर्गगज से अधिक के प्लॉटों की सिक्योरिटी 5000/रु लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करें।</p>	
प्रस्ताव नं:9	<p>भीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:4 के अनुसार कर्मशियल 50 वर्गगज से बड़े प्लॉटों की फीस 350+350=700/रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करें।</p>	
प्रस्ताव नं:10	<p>भीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:10 के अनुसार फेमिली ट्रांसफर/कानूनी वारिस/कोर्ट कस/मृत्यु कस/वसीयत आदि में रिहायशी प्लॉटों पर 1000/रु ट्रांसफर फीस व कर्मशियल प्लॉटों पर 5000/रु ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करें।</p>	
89.	<p>सभी पार्षदों ने सदन में कहा कि वार्डों में करवाये जाने वाले विकास कार्यों के टेण्डर नोटिस तथा वर्कआर्डर की प्रति पार्षदों को नहीं भिजवाई जाती।</p>	<p>आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि भविष्य में नगर निगम रोहतक द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों के टेण्डर नोटिस तथा वर्क आर्डर की प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाई जाये।</p>
90.	<p>सभी पार्षदों ने सुझाव दिया नगर निगम की भूमि पर नगर निगम रोहतक का बोर्ड लगाया जाये ताकि निगम की भूमि पर कोई कब्जा न हो सके।</p>	<p>आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसके लिए नगर निगम के अंतर्गत आने वाली भूमि चिह्नित करने उपरान्त रिकार्ड तैयार करके उस पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया जाये।</p>
91.	<p>वार्ड 14 की पार्षद श्रीमति नीरा भटनागर ने कहा कि</p>	<p>आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि जल्द से जल्द मौका देखकर</p>



<p>उनके वार्ड बड़ा बाजार में सड़क खराब हो चुकी है अतः उसका पुनःनिर्माण कराया जाये।</p>	<p>पहले से स्वीकृत मैटलड रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
<p>92. वार्ड 14 की पार्श्व श्रीमति नीरा भटनगर ने कहा कि उनके वार्ड बड़ा में वाटर कूलर का जाल लगावा दिया गया था परन्तु वाटर कूलर नहीं लगाया गया।</p>	<p>आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि जल्द से जल्द मौका देखकर पहले से स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>

इसके अतिरिक्त सदन द्वारा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि भविष्य में होने वाली बैठक में उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा कि जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में वर्णित नियम के अनुसार बैठक में रखे जाएंगे। इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

क्रमांक MCR/Mayor/2016/5868-72

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तार, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री मनीष श्रोवर, माननीय सहकारिता, लेखन एवं मुद्रण सामग्री व शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सौपला किलोई।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

क्रमांक MCR/Mayor/2016/5873-79

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।

  
मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 28/10/16

  
मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 28/10/16

6. सभी पार्श्वदण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

  
मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/ 5880-84

दिनांक 28/10/16

- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयवाधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
  2. सिविल सर्जन रोहतक।
  3. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
  4. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
  5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।

  
मेयर,

नगर निगम, रोहतक।